रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 1979/माघ 27, 1900

No. 80] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 1979/MAGHA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1979

का०आ० 96(अ).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है अर्थात् :—

(1)	डा० मृणाल मिरि, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, दर्शन विभाग, नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग।	धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत चुने गये हैं।
(2)	न्यायमूर्ति एच० आर० खन्ना, अध्यक्ष, विधि आयोग।	धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत चुने गए हैं।

2. उपरोक्त सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक अपने पदों पर रहेंगे ।

[सं० एफ० 1-60/78 यू०-5]

सोमनाथ पण्डित, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1979

S.O. 95(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 5 read with Sub-Section (1) of Section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints the following persons to be members of the University Grants Commission, namely:—

(1) Dr. Mrinal Miri, Professor and Head of the Department of Philosophy, North-Eastern Hill University, SHILLONG.	Chosen under clause (b) of Sub-Section (3) of Section 5.
(2) Mr. Justice H.R. Khanna, Chairman, Law Commission.	Chosen under clause (c) of Sub-Section (3) of Section 5.

2. The above mentioned members will hold office for a term of three years.

[No.F. 1-60/78-U.5]

S. N. PANDITA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979